कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.10.2024

विषयः- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त चन्द्रेश राजभर थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-0205/2023 धारा 363/366/376(3) भा0द0वि0 व 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त चन्द्रेश राजभर पुत्र रामबदन राजभर निवासी-बरवाकलां थाना मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ को आज दिनांक-29.10.2024 को समय करीब 13.00 बजे सुंगुलपुर चौराहे थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-27.10.2024 को अपहृता/पीडिता को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा सकुशल बरामद किया जा चुका है।

घटना का विवरण- दिनांक-12.05.2023 को वादी मुकदमा ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी रिश्तेदार उम्र करीब 17 वर्ष दिनांक-03/05/2023 को समय करीब 07.00 बजे बाहर गयी थी उसके वापस न आने पर मैने काफी खोजबीन किया लेकिन कहीं पर कोई पता नहीं चला। दिनांक-10/05/2023 को पता चला कि प्रतिवादी चन्द्रेश राजभर लड़की को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर भाग गया है और भगाने में एक और आदमी का भी सहयोग है और इन्हीं के मिली भगत से यह कार्य किया गया है, जिसके आधार पर थाना चौबेपुर पर मु0अ0सं0-205/2023 धारा 363/366 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 376(3) भा0द0वि0 व 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी, जिसके उपरांत विवेचना प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

चन्द्रेश राजभर पुत्र रामबदन राजभर निवासी-बरवाकलां थाना मेहनाजपुर जिला आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- सुंगुलपुर चौराहे थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से, दिनांक-29.10.2024 को समय करीब 13.00 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-0205/2023 धारा 363/366/376(3) भा0द0वि0 व 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. का0 धीरेन्द्र कुमार थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हो0गा0 भाग्य नारायण पाठक थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।